न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –14/2022(2022/92)

अनवान : –

1. अनील कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. सुलतानसिंह पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. बलजीत पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) राज0 कॉलोनाईजेशन जनरल कण्डीशन एक्ट के तहत रास्ता स्वीकृत बाबत।

उपस्थिति :–श्री संदीप गोदारा प्रार्थी
श्री पवन सिहाग अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 24/03/22

संक्षेप में प्रार्थना पत्रके तथ्य इस प्रकार है कि चक न0 6 जे.एस.एल. के खाता सं. 147/2 के मु.न. 88 के किला नं. 11/3, 12/1, 13/2, 18, 19 20, की कुल 0.9940 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी अनिल कुमार व अप्रार्थी बलजीत के नाम 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। एवं चक 6 जेएसएल के खाता सं. 249/147 के मु.न. 88 के किला नं. 8/3, 8/4, 9, 10, 11/2, 12/2, 13/1 की कुल1.031 है. जिसमें बारानी 1.006 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.025 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सुलतान सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है।

गांव गढीछानी से सवाईछानी की ओर राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत शुदा रास्ता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए मु.न. 88 के किला न. 13/1 के पूर्व दिशा उतर से दक्षिण रास्ता की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रार्थी के आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी उक्त रास्ते से आवागमन करता आ रहा है और रास्ता वर्तमान में चालू है। प्रार्थी न अप्रार्थी सुलतान सिंह को उक्त रास्ता के बदले में भूमि दे रखी है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहमति से रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

प्रार्थी सदामत से गांव गढीछानी से सवाईछानी की ओर राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत शुदा रास्ता मुख्य रास्ता से होकर अप्रार्थी की कृषि भूमि खाता सं. 249/47 के मु.नं. 88 के किला नं. 13/1 के पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण सीव डोल के पास–पास रास्ते से होते हुए अपनी कृषि भूमि में दाखिल हो जाता है, उक्त रास्ता सदामत से चालू है और इसी रास्ता से प्रार्थी आवागमन करता आ रहा है, को स्वीकृत करवा पाने का मजाज कानूनी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी सं 1 व 2 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। अप्रार्थी सं 2 पेरोकार की ओर से जवाब प्राप्त हुआ।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद की चक न0 6 जे.एस.एल. के खाता सं. 147/2 के मु.न. 88 के किला नं. 11/3, 12/1, 13/2, 18, 19 20, की कुल 0.9940 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी अनिल कुमार व अप्रार्थी बलजीत के नाम 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। एवं चक 6 जेएसएल के खाता सं. 249/147 के मु.न. 88 के किला नं. 8/3, 8/4, 9, 10, 11/2, 12/2, 13/1 की कुल 1.031 है. जिसमें बारानी 1.006 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.025 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सुलतान सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। उपर वर्णित भूमि में आवगमन के लिए अन्यत्र कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी अनील कुमार अप्रार्थीगण की चक कृषि भूमि खाता सं. 249/47 के मु.नं. 88 के किला नं. 13/1 के पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण सीव डोल के पास–पास एक–एक बिस्वा चौड़ा एवं 132 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत करवा पाने का मजाज कानूनी है। अतः प्रार्थना पत्र मुताविक राजीनामा स्वीकार करने का निवेदन किया।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 जनरल कण्डीशन एक्ट मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि चक 6 जेएसएल के खाता सं. 249/147 के मु.न. 18 के किला नं. 8/3, 8/4, 9, 10, 11/2, 12/2, 13/1 की कुल 1.031 है. जिसमें बारानी 1.006 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.025 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सुलतान सिंह के नाम खातेदारी कृषि भूमि के मु.नं. 88 के किला नं. 13/1 के पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण सीव डोल के पास–पास एक–एक बिस्वा चौड़ा एवं 132 फुट लम्बाई में प्रार्थी की सींव डोल तक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार रास्ते का अंकन रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/03/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ